



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1930 (श०)

(सं० पटना 181)

पटना, वृहस्पतिवार 27 मार्च, 2008

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

14 मार्च 2008

एस० ओ० 34, दिनांक 27 मार्च, 2008--केन्द्रीय बिक्री-कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 के उप-नियम (9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्बाधित व्यवसायी को निर्गत घोषणा प्रपत्र 'सी' को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाता है एवं सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है--

घोषणा प्रपत्र का विवरण

- | | |
|--|--|
| 1. सर्वश्री बॉम्बे टाईल्स इण्डस्ट्रीज,
फ्रेजर रोड, पटना-800001
TIN (CST)-10101835111 | क्रमांक-GOB/C-046134 से 046160
(कुल 27 पन्ना) |
| 2. प्रपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का
पदनाम। | वाणिज्य-कर उपायुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना |
| 3. प्रपत्र रद्द करने का कारण | भरे हुए घोषणा प्रपत्रों का खो जाना |
| 4. प्रपत्र रद्द करने का उद्देश्य | दुरुपयोग की रोकथाम |
| 5. प्रपत्र के अमान्य होने की तिथि | वाणिज्य-कर कार्यालय द्वारा निर्गमन की तिथि से |

[सं०-बिक्री-कर/रद्द-28/2006]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के प्रधान सचिव।

14 मार्च 2008

एस0 ओ0 35—एस0 ओ0 34, दिनांक 27 मार्च, 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0-बिक्री-कर/रद्द-28/2006]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के प्रधान सचिव।

The 14th March, 2008

S.O. 34, dated the 27th March, 2008.—In exercise of the powers conferred by the sub-rule (9) of Rule 9 of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957, the declaration forms "C" issued to the following registered dealer are being cancelled and declared invalid and hereby published for general information—

Particulars of the Declaration Forms

1. M/s Bombay Tiles Industries, Frazer Road, Patna-800001 TIN (CST)—10101835111	Sl. No. GOB/C—046134 to 046160 (Total 27 forms)
2. Designation of the officer who issued the form.	Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Patna North Circle, Patna.
3. Reason for cancellation of form.	Loss of filled up declaration forms.
4. Purpose for cancellation of forms.	Prevention of misuse
5. Date from which declared invalid.	From the date of issue by the Commercial Taxes office.

[No. Bikari-kar/Radd-28/2006]

By order of the Governor of Bihar,

SUBHAKIRTI MAJUMDAR,

Commissioner-cum-Principal secretary to Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित

तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण), 181-571+200-डी0 टी0 पी0